संख्या-07/2019/122/चालीस-2019-बजट(2)/2019

प्रेषक,

जितेन्द्र कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

राष्ट्रीय एकीकरण अनुभाग लखनऊ: दिनांक 05 अप्रैल, 2019

विषय: बाबा साहब डा0 भीमराव अम्बेडकर का जन्म दिवस 14 अप्रैल, 2019 को मनाये जाने हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिये वित्तीय स्वीकृतियॉ जारी कररने सम्बन्धी वित्त आय-व्ययक अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22 मार्च, 2019 में निहित शर्तों के अधीन बाबा साहब डा0 भीमराव अम्बेडकर के जन्म दिवस 14 अप्रैल, 2019 पर विभिन्न कार्यक्रमों/समारोहों के आयोजन पर व्यय हेतु श्री राज्यपाल प्रदेश के समस्त 75 जनपदों के लिए रू0 26,25,000/-, जिसमें रूपये 35,000/- (रू0 पैंतीस हजार मात्र) की दर से प्रत्येक जिलाधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने/व्यय करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- स्वीकृत धनराशि का कोषागार से आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जायेगा।

3- स्वीकृत धनराशि को प्रत्येक जिलाधिकारी द्वारा नियमानुसर शत-प्रतिशत व्यय किया जाएगा तथ आवंटित धनराशि को कोषागार से आहरित किये जाने के उपरान्त प्रत्येक आहरण की डी0डी0ओ0 शीट की प्रमाणित प्रति शासन को तत्काल उपलब्ध करायी जाएगी। साथ ही, पूर्ण व्यय का सदुपयोगिता प्रमाण-पत्र दिनांक 31-12-2019 से पूर्व शासन को उपलब्ध का दिया जाएगा तथा धनराशि का उपयोग करने के पश्चात आंकडों का मिलान महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद से कराकर उनके द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र की प्रमाणित प्रति शासन को 31-01-2020 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

4- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्यय की अनुदान सं0-53 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक "2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-00-800-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

अन्य व्यय-00-12-डा0 भीमराव अम्बेडकर के जन्म दिवस पर विभिन्न कार्यक्रम के आयोजन-42-अन्य व्यय'' के नामे डाला जायेगा।

5- सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा स्वीकृत धनराशि आहरित करते समय लोक सभा सामान्य निर्वाचन, 2019 के कारण दिनांक 10-03-2019 से प्रभावी चुनाव की आदर्श आचार-संहिता में उल्लिखित शर्तों/प्राविधानों का भी ध्यान रखा जायेगा।

6- यह आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के तहत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

जितेन्द्र कुमार
प्रमुख सचिव।

संख्या: 07/2019/122(1)/चालीस-2019-बजट(2)/2019, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश को इस आशय से प्रेषित कि अपने स्तर से भी सम्बन्धित जिलाधिकारियों को उक्त आदेश की प्रति भेजते हुए समयान्तर्गत शत-प्रतिशत धनराशि का उपयोग सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।
2- समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश। (नोडल अधिकारी)।
3- प्रधान महालेखाकर (सिविल/आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
4- महालेखाकर (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
5- वरिष्ठ आडिट आफिसर (आडिटएवं प्लानिंग) कार्यालय, महालेखाकर (लेखा परीक्षा) प्रथम, सतयनिष्ठा, भवन-15, नार्थ हिल रोड, इलाहाबाद।
6- समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तर प्रदश।
7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9
8- निदेशक, सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
9- समस्त जिला सूचना अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
10- गार्ड बुक/बजट सहायक।

आज्ञा से,

अशोक कुमार
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in